

न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर

बड़जलास - चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

रसद मामला संख्या-45/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		प्रहलादराम पुत्र खीयाराम निवासी गोरेडी डेगाना

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी

निर्णय

दिनांक -28.04.2025

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सीज सुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर, 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 01 इलेक्ट्रॉनिक मोटर, 01 नोजल मय 5 फीट लम्बा पाईप, 01 रेग्युलेटर मय 5 फीट लम्बा पाईप को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा।

1. प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि डॉ. निकिता राठौड, जिला रसद अधिकारी, नागौर के नेतृत्व में श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक, श्री रामनिवास बेरवाल प्रवर्तन निरीक्षक एवं जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 26.09.2024 को सेन समाज भवन के सामने डेगाना स्थित श्री प्रहलादराम के गोदाम पर आकस्मिक जांच की गई। मौके पर श्री प्रहलादराम उपस्थित मिलें, जिन्होंने दुकान का निरीक्षण करवाया। मौके पर दुकान में 4 घरेलू रसाई गैस सिलेण्डर, 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर 01 इलेक्ट्रॉनिक मोटर, 01 नोजल मय 5 फीट लम्बा पाईप, 01 रेग्युलेटर मय 5 फीट लम्बा पाईप मौके पर पाये गये। श्री प्रहलादराम ने बताया कि दो माह पूर्व गाडियों में घरेलू गैस भरने का कार्य करता था लेकिन अब यह कार्य नहीं करता हूँ। श्री प्रहलादराम से घरेलू/व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं विक्रय से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू/व्यवसायिक गैस के भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। श्री प्रहलादराम द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित/ दुरुपयोग किये गये मौके पर उपस्थित श्री बाबुलाल द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने भण्डारित/ दुरुपयोग किये गये 04 घरेलू गैस सिलेण्डर, 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 01 इलेक्ट्रॉनिक मोटर, 01 नोजल मय 5 फीट लम्बा पाईप, 01 रेग्युलेटर मय 5 फीट लम्बा पाईप अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया।

1(1) जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है।


सं.	नाम गैस कम्पनी	एस.आर. नं.	गैस वजन
1	इण्डेन गैस	114001-T	-
2	एचपीसीएल	193636-E	-
3	एचपीसीएल	376206-E	-
4	एचपीसीएल	292031-f	-
5	एचपीसीएल व्यवसायिक	004727-S	-
6	एचपीसीएल व्यवसायिक	26284-S	-

28/4/25
अपर कलक्टर, नागौर

उपरोक्त 4 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर, 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर 01 इलेक्ट्रॉनिक मोटर, 01 नोजल मय 5 फीट लम्बा पाईप, 01 रेग्यूलेटर मय 5 फीट लम्बा पाईप को मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स श्री साईनाथ एचपी गैस डेगाना के प्रतिनिधि श्री चेनाराम की सुपुर्दगी में दिये गये है।

इस प्रकार श्री प्रहलादराम का यह कृत्य लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, - 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर उपर्युक्तानुसार 4 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर, 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर 01 इलेक्ट्रॉनिक मोटर, 01 नोजल मय 5 फीट लम्बा पाईप, 01 रेग्यूलेटर मय 5 फीट लम्बा पाईप को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। डॉ. निकिता राठौड, जिला रसद अधिकारी, नागौर के नेतृत्व में श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक, श्री रामनिवास बेरवाल प्रवर्तन निरीक्षक एवं जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की। मौका निरीक्षण करने पर 4 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर, 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर 01 इलेक्ट्रॉनिक मोटर, 01 नोजल मय 5 फीट लम्बा पाईप, 01 रेग्यूलेटर मय 5 फीट लम्बा पाईप मौके पर पाये गये। मौके पर अप्रार्थी श्री प्रहलादराम से पूछताछ करने पर उसके पास गैस भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये गये। जिससे अप्रार्थी का यह कृत्य लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, - 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) का स्पष्ट उल्लंघन है जो दण्डनीय अपराध है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त सुदा इस निर्णय के पैरा संख्या 1(1) में वर्णित 6 गैस सिलेण्डर तथा 01 इलेक्ट्रॉनिक मोटर, 01 नोजल मय 5 फीट लम्बा पाईप, 01 रेग्यूलेटर मय 5 फीट लम्बा पाईप को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत समपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। उक्त 06 गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण किया जावे तथा 01 इलेक्ट्रॉनिक मोटर, 01 नोजल मय 5 फीट लम्बा पाईप, 01 रेग्यूलेटर मय 5 फीट लम्बा पाईप का नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। उक्तानुसार कीमतन निस्तारण से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। उक्त प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।
3. निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलेक्टर,
नागौर

अपर कलेक्टर, नागौर